


क्र. वि.म.वि./ केन्टीन /2024/ 2391

दिनांक : 21/12/2024

## निविदा सूचना

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय , उदयपुर में स्थित केन्टीन का ठेका देने हेतु मोहरबन्ध निविदाये आमन्त्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र मय शर्तें कार्यालय समयावधि मे रु 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) केन्टीन निविदा का नकद जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदायें दिनांक 21.12.2024 प्रातः 11.00 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा की जायेगी एवं उसी दिन सायं 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी।

  
प्रोफेसर एम.एस. ढाका  
अधिष्ठाता



## निविदाप्रपत्र

क्र. वि.म.वि./ केन्टीन /2024/

दिनांक 11.12.2024के क्रम में

क्रमांक	केन्टीन को ठेके पर देने का संक्षिप्त विवरण	मासिक किराया पानी एवं बिजली के अलावा दर
1	ग्राहको के बैठने के लिये उचित व्यवस्था की गयी है जिसमें छत के पंखे एवं अन्य सुविधा दी गयी, ठेकेदार आकर केन्टीन का निरीक्षण कर लेवें।	
2	उपरोक्त सुविधाओं के साथ मे निम्न सामान साथ में दिया जायेगा:-टेबल, बैच बैठने हेतु।	
3	(अ) निविदा देने वाले व्यक्ति व फर्म का नाम व पता  (ब) धरोहर राशी / सिक्येरिटी राशी .	..... ..... ..... ..... .....
4	जमानत देने वाले व्यक्ति का नाम व पता	1..... ..... 2..... .....

मैंनेनिविदा की शर्तें क्रमांक 1 से 35 तक पढ़ कर समझ ली है एवं इनशर्तों को मे स्वीकार करता हूँ। केन्टीन के ठेके की मासिक किराये की रकम उपरोक्त ठेके के अर्न्तगत जमा कराने को सहमत हूँ तथा संलग्न सूची में मेरे द्वारा वर्णित भाव पर सामग्री उपलब्ध कराने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नोट :- निविदा भरने से पुर्व निविदा लेने वाले ठेकेदार सारी सुविधांये देखकर ही अपनी विविदा देवे।



# विज्ञान महाविद्यालय मे केन्टीन को ठेके पर देने की शर्तें

ठेका दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा।

1. टेण्डर मोहर बंद लिफाफे में निम्न हस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में टेंडर दिनांक 21.12.2024 को 11.बजे तक पहुंच जाना चाहिए टेंडर उसी दिन अपराहन गठित कमेटी के द्वारा खोले जाएंगे निविदा कर्ता यह इनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
2. टेंडर भरने वाले ठेकेदार को निविदा के साथ रु 25000/- की अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) नकद या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी।
3. जिस ठेकेदार के नाम अनुबन्ध जारी होगा उसको 6 माह का अग्रिम किराया रुपए ...../- प्रतिमाह के हिसाब से 6 माह का रुपए ...../-स्वीकृति के 1 सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा। स्वीकृत अग्रिम किराया उक्त अवधि में जमा नहीं होने पर अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए ठेकेदार को किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया जाएगा एवं उससे कम बोली वाले ठेकेदार के नाम पर स्वीकृत कर दिया जाएगा। यह शर्त द्वितीय ठेकेदार के नाम पर भी लागू होगा।
4. जिसके नाम ठेका से स्वीकृत होगा अग्रिम राशि बतौर रु 25000/- सिक्योरिटी रखी जाएगी जो ठेके की अवधि समाप्त होने के 3 माह भीतर लौटाई जाएगी अग्रिम रु 25000/- सिक्योरिटी पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
5. केन्टीन परिसर मासिक किराया न्यूनतम रु 15000/- प्रतिमाह होगा तथा विद्युत खर्च रु 10/- प्रति युनिट अलग से होगा।
6. जिस व्यक्ति या पार्टी के नाम ठेका स्वीकृत होगा वह व्यक्ति या पार्टी उस ठेके को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को स्थानांतरण (सबलेट) नहीं कर सकेगा।
7. अधिष्ठाता विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर द्वारा या उनके अधिकृत व्यक्ति /कमेटी द्वारा जो भी आदेश वं निर्देश समय समय पर दिए जाएंगे उनकी पालना अनुमोदित ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करनी होगी। आदेश की अवहेलना करने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
8. अधिष्ठाता विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर का यह पुर्ण अधिकार होगा कि वह चाहे तो ठेका स्वीकृत करें या उसे बिना बताए निरस्त कर दे।
9. अधिष्ठाता द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर ही केन्टीन के रूप में कार्य लिया जाएगा।
10. ठेकेदार को केन्टीन प्रातः 8:00 बजे से 5.00 बजे तक चालू रखना होगा।
11. नगर परिषद् / राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लगाने पर यह कर ठेकेदार को देना होगा।
12. ठेकेदार को केन्टीन में आवश्यक नियम व सामान की दरों को स्थाई बोर्ड पर लिखकर लगाना होगा।
13. ठेका प्रारंभ होने से पूर्व सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार रु 100/- के नॉन जुडिशल स्टांप पर अनुबंध पत्र संपादित करना होगा।
14. न्यायालय का क्षेत्र उदयपुर शहर तक ही सीमित होगा।
15. जिस नाम पर ठेका स्वीकृत हो ठेके को किसी भी शर्त की पालना में असफल रहने पर यदि ठेका निरस्त किया जाता है तो महाविद्यालय को जो भी हानि होगी वह सफल होने वाले ठेकेदार या जमानती से वसूल की जाएगी।

Approved  
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

16. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात ठेकेदार की कोई भी शर्त लिखित या मौखिक रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
17. ठेकेदार को हर छह माह का किराया एडवांस रूप में जमा कराना होगा, किराया समय पर जमा न कराने पर ठेका निरस्त किए जाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षर करता को होगा। बिजली का सब मीटर अलग से लगेगा। सब मीटर की रीडिंग के आधार पर आर.एस.ई.बी. की रेट के अनुसार बिजली का खर्चा ठेकेदार को देना होगा।
18. सामान हर समय कैंटीन में उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को संलग्न सूची में अंकित दरों पर सामान देना होगा।
19. ठेकेदार को जमानत के रूप में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की लिखित रूप से जमानत दिलानी होगी। एग्रीमेंट में जमानत देने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होंगे जो किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए होगी।
20. सामान की दर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूल नहीं की जाएगी कैंटीन के अंदर ताश या अन्य किसी प्रकार का खेल नहीं होगा कैंटीन में धूम्रपान एवं नशीली वस्तुएं जैसे तंबाकू गुटखा आदि की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ठेकेदार इस आशय की सूचना कैंटीन में प्रदर्शित करेगा, ठेकेदार इस बात का पूर्ण ध्यान रखेगा एवं इससे किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता या उसके द्वारा अधिकृत कमेटी सदस्य को लिखित रूप में लाएगा सामान की सामान की दर काबोर्ड में लगाना होगा एवं निर्धारित दर से अधिक नहीं ले सकेगा।
21. किसी प्रकार के उपद्रव या विरोधी गतिविधियों की सूचना ठेकेदार अधिष्ठाता, विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर के ध्यान में अविलंब रूप से प्रस्तुत करेगा।
22. महाविद्यालय में समय-समय पर होने वाले समारोह में खाद्य सामग्री कैंटीन की निर्धारित दर पर देना होगा।
23. कैंटीन कमेटी के सदस्य किसी भी समय शुद्धता व सफाई की वस्तु की जांच कर सकेंगे उसमें ठेकेदार किसी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकेगा एवं शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना उसका कर्तव्य होगा।
24. ठेकेदार कैंटीन से कोई भी सामान कैंटीन से बाहर बिना अधिष्ठाता महोदय की लिखित आज्ञा से प्राप्त किए नहीं ले जा सकेगा एवं जो सामान कैंटीन में कार्यालय का होगा उसकी नियम अनुसार रसीद देना होगा कैंटीन में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी चीज के खो जाने पर उसके कीमत की दोगुनी राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
25. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा ठेके की राशि निर्धारित समय से पूर्व स्वयं की इच्छा से जमा नहीं होने पर ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा व सिक्योरिटी की रकम जब्त कर ली जाएगी। यदि ठेकेदार निर्धारित समय से पूर्व स्वयं की इच्छा से अपनी ठेकेदारी समाप्त करेगा तो भी किराया एवं सिक्योरिटी राशि जप्त कर ली जाएगी।
26. किसी को भी उधार दे गई वस्तुओं के लिए अधिष्ठाता, विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
27. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर महाविद्यालय अधिष्ठाता का निर्णय सर्वमान्य होगा।
28. इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और कर्मचारियों के अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति कैंटीन में प्रवेश नहीं करेगा लेकिन संबंधित छात्र कर्मचारी अधिकारी के अतिथि कैंटीन में प्रवेश पा सकेगा।
29. उपरोक्त शर्तों में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रद्दोबदल करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
30. ठेकेदार से कैंटीन संबंधी कैंटीन संबंधित कोई भी बकाया की वसूली उसकी सिक्योरिटी राशि से वसूल नहीं होने पर पीडीआर ऐक्ट नियम के अनुसार वसूल की जा सकेगी या दोनों जमानत देने वाले व्यक्तियों से वसूल की जाएगी।

31. निविदा कर्ता को संलग्न सूची में अंकित सामग्री की सप्लाई की दरें अंकित करनी होंगी तथा यह टेंडर की अवधि तक प्रभावी रहेगी सभी पेक्ड एवं ब्रांडेड वस्तुओं पर एम.आर.पी. से अधिक चार्ज नहीं लिया जाएगा।
32. गैस सिलेंडर की सुरक्षा रखरखाव व रसोई से संभावित दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
33. ठेकेदार महाविद्यालय के शिक्षकों के बैठने हेतु अलग से व्यवस्था रखेंगे जिससे शिक्षक वर्ग आसानी से कैंटीन सुविधाओं का लाभ ले सके।
34. माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार कैंटीन में धूम्रपान या अन्य किसी प्रकार का उत्पीड़न अवैध है ठेकेदार इस बात को छात्रों के पुर्ण ध्यान में लाएगा।
35. कैंटीन की साफ सफाई की व्यवस्था रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

मैं.....निविदाकर्ता यह तस्दीक करता हूं कि निविदा शर्त क्रमांक 1 से 35 तक पढ़ कर समझ ली है एवं उसकी पालना पूर्ण रूप से करूंगा पालना नहीं होने की स्थिति में आ द्वारा जो भी निर्णय होगा उसको मानने को बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

## List of canteen items and rate

Sr, No.	Item	Quantity	Rate
1	Samosa	Per piece	
2	Dal Kachori	Per piece	
3	Alu Vada	Per piece	
4	Onion Kackori	Per piece	
5	Bread Vada	Per piece	
6	Bread Sandwitch	Per piece	
7	Alu Parantha (oil)	Per piece	
8	Alu Parantha (Butter)	Per piece	
9	Tea		
10	Coffee		
11	Cold Drink	Per piece	
12	Dahi	Per plate	
13	DahiVada	Per plate	
14	Channa Bhatura	Per plate	
15	Fried Rice	Per plate	
16	Rajhma Chawal	Per plate	
17	Veg Pokada	Per plate	
18	Uppma	Per plate	
19	Idli Samber	Per plate	
20	Chips, Biscuits etc	Per piece	
21	Dal Puri (6 Purri, 1 bowl dal)	Per plate	
22	Simple diet (Dal, Chawal, Sabji, Roti 5)	Per plate	
23	Special diet (Dal, Chawal, 2 Sabji, Roti/Puri ), Papad, Salad, Achar,1 piece Sweet	Per plate	
24	Special diet (Dal, Chawal, 2 Sabji, Roti/Puri ), Papad, Salad, Achar,1 piece Sweet with catering	Per plate	